मा0 विधान परिषद के द्वितीय सत्र**-2023** के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि पेपर मिल कालोनी, निशांतगंज, लखनऊ में अवैध निर्माण, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेशों के उपरान्त भी ध्वस्त न किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 20.04.2023, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाॅ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?	पेपर मिल कालोनी निशातगंज, लखनऊ स्थित फ्लैट संख्या-जी-1/4 के अध्यासी श्री एच0पी0 गुप्ता, श्रीमती माधवी सिंह एवं श्रीमती नेहा सिंह द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 29.05.2023 को उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी तथा अवैध निर्माण को दिनाँक 24.07.2023 को सील कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनाँक 27.07.2023 द्वारा प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। उक्त ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 27.07.2023 की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनाधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त करने की नोटिस लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत की गई है। उक्त अनाधिकृत निर्माण को अध्यासी द्वारा ध्वस्त न करने की स्थिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा तथा गिराये जाने का व्यय भार राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री